# समक्ष श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, भोपाल केम्प (म.प्र.)

पुनर्विलोकन आवेदन–पत्र कमांक...../2016

1. श्रीमती यशोधरा जायसवाल पत्नि श्री जी.सी.जायसवाल,
   आयु–69 (उनहत्तर) वर्ष, निवासी–मकान नम्बर–37 (सैतीस),
   जेल रोड, जहांगीराबाद, भोपाल (म0प्र0)
3. श्री जी.सी.जायसवाल आत्मज श्री रामदास जायसवाल,
   आयु–76 (छिहत्तर) वर्ष, निवासी–मकान नम्बर–37(सैतीस),
   जेल रोड, जहांगीराबाद, भोपाल (म0प्र0) ----------

आवेदकगण

विरूद्ध

दीपम रियलटर्स प्रायवेट लिमिटेड,
द्वारा प्रबंध संचालक, श्री दीपक कुमार कपूर,
आत्मज स्व. श्री के.सी.कपूर, आयु–60 (साठ) वर्ष,
व्यवसाय–बिल्डर, पता–17 (सत्रह) भू–तल ब्लॉक,
के–20 (बीस), ग्रीन सिटी, ई–8 (आठ), अरेरा कॉलोनी,
भोपाल (म0प्र0) ----------

अनावेदक/उत्तरदाता

## पुनर्विलोकन आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा–51 सहपठित धारा–32 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

आवेदकगण के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष **निगरानी प्रकरण कमांक–65 पी.वी.आर./2016** विरूद्ध आदेश दिनांक 16.10.2015 में पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक टी.टी.नगर वृत्त, बारह दफ्तर, जवाहरचौक, जिला–भोपाल (म.प्र.) के **राजस्व प्रकरण कमांक–81/अ–12/2014–15** के संबंध में पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा **निगरानी प्रकरण कमांक–65 पी.वी.आर./2016** में दिनांक 12.05.2016 को आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 को निरस्त कर दिया था। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का गंभीरता से अवलोकन करने में त्रुटि कारित की है। जिस कारण आवेदकगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत **निगरानी प्रकरण कमांक–65 पी.वी.आर./2016** में पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 को पुनर्विलोकन में लिये जाने हेतु यह पुनर्विलोकन आवेदन–पत्र निम्नलिखित तथ्यों एवं वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत किया है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक Review 2506–PBR / 16 जिला भोपाल

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 2–9–2016 | आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह रिव्यु इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16–10–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है :–<br>(1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी ; या<br>(2) मामले के अभिलेख से प्रकट भूल या गलती ; या<br>(3) अन्य कोई पर्याप्त आधार ।<br>आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्कों में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता हैं । अतः यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है ।<br>(मनोज गोयल)<br>अध्यक्ष | |